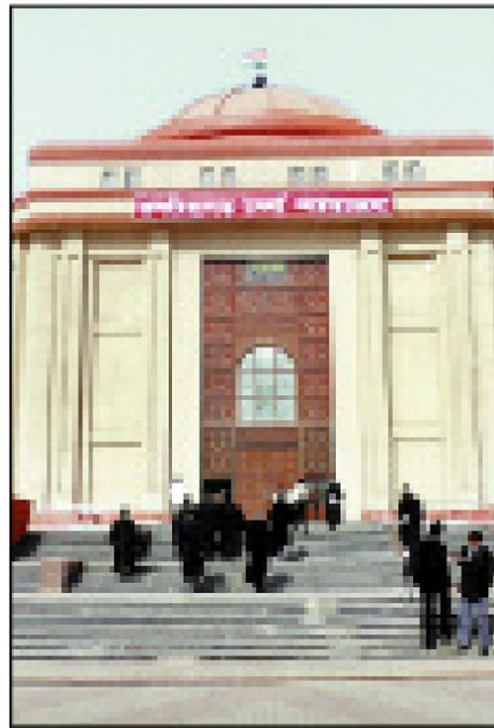


डीकेएस अस्पताल में अव्यवस्था हाईकोर्ट ने मामले पर लिया संज्ञान

हरिभूमि न्यूज ►► बिलासपुर

सिम्स में अव्यवस्था को लेकर चल रही जनहित याचिका के साथ डीकेएस अस्पताल रायपुर में मरीजों के परिजनों के रहने का इंतजाम नहीं होने पर भी संज्ञान लिया गया है। हाईकोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई होने के बाद इसे मॉनिटरिंग के लिए अगले माह के लिए निर्धारित किया गया है।

एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया था कि मरीजों के साथ आए तीमारदार खुले आसमान के नीचे रहते हैं। वे डीकेएस अस्पताल के पार्किंग क्षेत्र में ही रह रहे हैं। इस मामले को ►►शेष पेज 5 पर



**अगले माह
होगी सुनवाई**

मरीजों और अन्य व्यक्तियों के परिजनों द्वारा किए गए किसी भी अतिक्रमण से दोनों अस्पतालों में आए मरीज और अन्य व्यक्तियों को असुविधा हो सकती है। इसके अलावा ►►शेष पेज 5 पर

दो परिचारकों को ही इजाजत: आज चीफ जस्टिस की डीबी में हुई सुनवाई के बाद शासन की ओर से बताया गया कि संबंधित अस्पतालों के अधीक्षकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जा चुका है कि अस्पताल के मानदंडों के अनुसार परिचारकों को अस्पताल परिसर में प्रवेश की ►►शेष पेज 5 पर